

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267529
SG-DL-E-10112025-267529असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 316
No. 338]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947	[N. C. T. D. No. 316

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव

(सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2025

सं. सीई/आई एण्ड एफसी/एफसीबी/9212-44.—अधिसूचना संख्या सीई/आई एंड एफसी/एफसीबी/2015-16/7146-74 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के अधिकमण में, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अधिसूचना जारी होने की तिथि से निम्नानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुर्नगठन करते हैं :

1. माननीय मंत्री, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	—	अध्यक्ष
जन प्रतिनिधि		
1. श्री राज कुमार चौहान, विधायक, मंगोलपुरी	—	सदस्य
2. श्री अरविन्दर सिंह लवली, विधायक, गांधीनगर	—	सदस्य
3. श्री अभय वर्मा, विधायक, लक्ष्मी नगर	—	सदस्य
4. श्री सतीश उपाध्याय, विधायक, मालवीय नगर और	—	सदस्य

5. श्री प्रद्युमन सिंह राजपुत, विधायक, द्वारका	—	सदस्य
अधिकारीक सदस्य		
6. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना/वित्तीय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	—	सदस्य
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
10. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	—	सदस्य
11. सलाहकार, सिंचाई एवं कमांड क्षेत्र विकास, नीति आयोग, भारत सरकार	—	सदस्य
12. डिविजनल कमिश्नर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—	सदस्य
13. सचिव, शहरी विकास	—	सदस्य
14. प्रमुख अभियन्ता, दिल्ली नगर निगम	—	सदस्य
15. सदस्य ड्रेनेज, दिल्ली जल बोर्ड	—	सदस्य
16. अभियन्ता सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण	—	सदस्य
17. सदस्य (आरएम), केन्द्रीय जल आयोग	—	सदस्य
18. प्रमुख अभियन्ता, पीडब्ल्यूडी	—	सदस्य
19. मुख्य अभियन्ता, जोन-1 एवं 2, (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण)	—	सदस्य
20. सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	—	सदस्य सचिव

क. बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के कार्य एवं संदर्भ की भाँते निम्नलिखित होंगी :—

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बाढ़ की समस्याओं का निर्धारण करना और बाढ़ व राहत सुरक्षा कार्य से संबंधित नीति के संबंध में कार्य करना।
2. अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था करवाना।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बाढ़ चेतावनी प्रणाली को लागू करना और उसकी व्यवस्था करना।
4. बाढ़ नियंत्रण और प्राथमिकता निश्चित करने के लिए आवश्यक राहत उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक वाली योजनाओं का आंकलन और अनुमोदित करना।
5. बाढ़ नियंत्रण कार्यों के कुशल निष्पादन की व्यवस्था करना।
6. बाढ़ आपात स्थिति का सामना करने के उपाय करना।
7. प्राधिकृत अनुसूचि के आधार पर अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करना।

ख. बाढ़ नियंत्रण बोर्ड आवश्यकतानुसार बैठक करेगा, लेकिन छः माह में एक बार से कम नहीं।

ग. दिल्ली बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य मनोनीत करेंगे।

नवीन कुमार चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

(Irrigation and Flood Control Department)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th October, 2025

F. CE/I&FC/FCB/9212-44.—In supersession of Notification No. CE/I&FC/FCB/2015-16/7146-74 dated 24th April 2015, the Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, is pleased to reconstitute the Flood Control Board for Government of National Capital Territory of Delhi, as under from the date of issue of Notification:

1. Minister (I&FC Department) : Chairman

PUBLIC REPRESENTATIVES

1. Sh. Raj Kumar Chauhan, MLA (Mangol Puri) - Member
2. Sh. Arvinder Singh Lovely, MLA (Gandhi Nagar) - Member
3. Sh. Abhay Verma, MLA (Laxmi Nagar) - Member
4. Sh. Satish Upadhyay, MLA (Malviya Nagar) - Member
5. Sh. Parduymn Singh Rajput, MLA (Dwarka) and - Member

OFFICIAL MEMBERS

6. Chief Secretary, GNCTD - Member
7. Additional Chief Secretary (Finance/Planning), GNCTD - Member
8. Commissioner MCD - Member
9. Additional Chief Secretary PWD, GNCTD - Member
10. Vice Chairman. DDA - Member
11. Advisor (I&CAD), Niti Ayog, Govt. of India - Member
12. Divisional Commissioner, GNCTD - Member
13. Secretary, Urban Development - Member
14. Engineer-in-Chief, MCD - Member
15. Member Drainage, Delhi Jal Board - Member
16. Engineer-Member, DDA - Member
17. Member (RM) Central Water Commission - Member
18. Engineer-in-Chief, PWD - Member
19. Chief Engineer Zone -I & II (I&FC) - Member
20. Secretary/Pr. Secretary/Addl. Chief Secretary (I&FC), GNCTD - Member Secretary

(a) The terms of reference and functions of the Board will be: -

1. To assess the flood problems in NCT of Delhi and to deal with question of policy in connection with floods, flood relief and measures for flood control and protection.
2. To arrange for collection of the requisite data in connection with an approved programme.
3. To evolve and organize a flood warning system in NCT of Delhi.
4. To plan and approve all schemes **costing more than Rs. 50.00 Crore** connected with measures of controlling floods, remedial measures and to determine priorities.
5. To arrange for the efficient maintenance of flood control works.
6. To devise measures to cope with flood emergency situation.
7. To arrange for implementation of approved schemes according to an authorized schedule.

(b) The Flood Control Board will meet as and when necessary but not less than once in six months.

(c) The Chairman will represent the Delhi Flood Control Board in the Central Board or nominate one of the members to represent the Flood Control Board of NCT of Delhi.

NAVIN KUMAR CHOUDHARY, Addl. Chief Secy.